



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09062022-236421
CG-DL-E-09062022-236421

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2503]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 8, 2022/ज्येष्ठ 18, 1944

No. 2503]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 8, 2022/JYAISTHA 18, 1944

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2022

का.आ. 2630(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, गुजरात राज्य के वडोदरा जिले में विशेष रेल परियोजना, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा ;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, जमीन संपादन अधिकारी यूनिट 1, वडोदरा, छठा तल, कुबेर भवन, कोठी कम्पाउण्ड, वडोदरा, गुजरात को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, करने के पश्चात्, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य के वडोदरा जिले में विशेष रेल परियोजना, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण/ब्लॉक संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल हैक्टर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	वडोदरा	कोटणा	365	निजी	खेती	0.1000
2	वडोदरा	कोटणा	366	निजी	खेती	0.1500

[फा. सं. 2022/एलएमएल-II/12/1/डब्ल्यू सी/2314]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2022

S.O. 2630(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), (herein after referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Projects, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Vadodara in the state of Gujarat hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, Land Acquisition Officer Unit No. 1, Vadodara, Sixth Floor, Kuber Bhawan, Kothi Compound, Vadodara, Gujarat, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the proposed Special Railway Project, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Vadodara in the State of Gujarat.

Name of District- Vadodara

Serial Number	Name of Taluka	Name of Village	Survey / Block Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectares
1	2	3	4	5	6	7
1	Vadodara	Kotna	365	Private	Agricultural	0.1000
2	Vadodara	Kotna	366	Private	Agricultural	0.1500

[F. No. 2022/LML-II/12/1/WC/2314]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (Land and Amenities)